

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

दाखिल खारिज रिवीजन वाद संख्या-35/2024

रचना कुमारी बनाम् राज्य सरकार (भूमि सुधार उपसमाहर्ता, रामगढ़)

आदेश की क्रम
संख्या
और तारीख

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

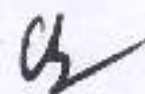
आदेश पर की गई
कार्रवाई के बारे में
टिप्पणी तारीख

24/01/25

इस वाद की कार्यवाही भूमि सुधार उपसमाहर्ता, रामगढ़ के न्यायालय में रचना कुमारी, पिता-काशीनाथ सिंह द्वारा समर्पित दाखिल खारिज आवेदन के आलोक में दायर दाखिल खारिज अपील (ऑनलाईन) वाद संख्या-61/2023-24 रचना कुमारी बनाम अंचल अधिकारी, रामगढ़ में दिनांक-26.02.2024 को पारित आदेश के विरुद्ध U/s - 16 of Bihar Tenants Holdings (Maintenance of Records) Act-1973 के तहत रिवीजन दायर किया गया। वाद सुनवाई हेतु अंगीकृत करते हुए संबंधित पक्षकारों को नोटिस निर्गत किया गया एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख की माँग की गई। विषयगत वाद में प्रश्नगत भूमि मौजा-लोधमा, थाना-रामगढ़ थाना सं०-117 के खाता संख्या-67 प्लॉट संख्या-350 रकबा-0.0220 ए० भूमि से संबंधित है।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं एवं सरकारी अधिवक्ता को सुना एवं उनके द्वारा समर्पित आवेदन, प्रत्युत्तर, निम्न न्यायालय का आदेश एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया।

प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि मौजा-लोधमा, थाना सं०-117 के खाता सं०-67, प्लॉट सं०-350, कुल रकबा-2.54 एकड़ जमीन सुर्यनारायण तिवारी निवासी ग्राम-छत्तरमाण्डु, जिला-रामगढ़ को हासिल है। मौजा-लोधमा के खाता सं०-67, प्लॉट सं०-350, कुल रकबा-2.54 एकड़ भूमि की जमाबन्दी चालू पंजी-11 के पृष्ठ सं०-130/1 में सुर्यनारायण तिवारी के नाम से कायम है। वर्ष-2016-17 तक लगान रसीद निर्गत है। अंचल अधिकारी, रामगढ़ ने जिला अवर निबंधन पदाधिकारी, रामगढ़ को सूचनार्थ एवं जाँचोपरान्त नियमानुसार अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु प्रेषित दिनांक-04.10.2016 (1) राज किशोर तिवारी (2) राजेन्द्र तिवारी (3) दिलनाथ तिवारी पिता-स्व० सुर्यनारायण तिवारी ने अपने पिता से अर्जित सम्पत्ति मौजा-लोधमा के खाता सं०-67, प्लॉट सं०-350, कुल रकबा-2.54 एकड़ मध्ये रकबा-10 डी० जमीन निबंधित केवाला सं०-1563, दिनांक-27.05.2013 के माध्यम से श्रीमति सोनी सिन्हा पति-श्री विजय कुमार सिन्हा को बिक्री कर दिया। जिसमें अपीलार्थी दखल कब्जा में चली आ रही है। अपीलार्थी आवेदिका ने मौजा-लोधमा के खाता सं०-67, प्लॉट सं०-350, कुल रकबा-10 डी० जमीन का ऑनलाईन दाखिल खारिज वाद संख्या-200/2017-18 को अंचल अधिकारी, रामगढ़ को दिया। अंचल अधिकारी,



रामगढ़ ने अपीलार्थी के दाखिल खारिज वाद संख्या- 200/2017-18 को दिनांक-31.07.2017 को बिना किसी कारण का अस्वीकृत कर दिये, जो विधि विपरीत है। अपीलार्थी ने अंचल अधिकारी, रामगढ़ से दाखिल खारिज आवेदन अस्वीकृत होने के पश्चात् भूमि सुधार उपसमाहर्ता, रामगढ़ के न्यायालय में ऑनलाईन ऑफलाईन के तहत दाखिल खारिज अपील वाद सं०-61/2023-24 दायर किया। भूमि सुधार उपसमाहर्ता, रामगढ़ ने अपीलार्थी के दाखिल खारिज अपील वाद सं०-61/2023-24 को दिनांक-26.02.2024 को सुनवाई करते हुए, आवेदन को अस्वीकृत कर दिये, जो विधि विपरीत है। अपीलार्थी आवेदिका भूमि सुधार उपसमाहर्ता, रामगढ़ के आदेश दिनांक-26.02.2024 से विक्षुब्ध एवं निराश होकर यह रिवीजन आवेदन दायर किया है। भूमि सुधार उपसमाहर्ता, रामगढ़ ने Land Record Jharkhand में दर्ज विभिन्न रैयतों के नाम से मौजा-लोधमा के खाता सं०-67, प्लॉट सं०-350 का पूर्व में दाखिल खारिज हो चुका है, जिसे अनदेखा किया गया है। साथ ही ने अपीलार्थी के केवाला को अनदेखा कर विधि विपरीत आदेश पारित किया है। भूमि सुधार उपसमाहर्ता, रामगढ़ ने राजस्व कर्मचारी के मन्तव्य को अनदेखा किया गया।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा निम्न न्यायालय के पारित आदेश को रद्द करते हुए अपील आवेदन स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया।

विषयगत वाद में प्रश्नगत भूमि के संबंध में राजस्व कर्मचारी के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि भूमि सी०एन०टी० की धारा-46(1)(B) की जाति सूची से बाहर है। भूमि आदिवासी तथा गैरमजरूआ खाते से मुक्त है। अतः दाखिल खारिज हेतु अनुशंसा किया जाता है।

विषयगत वाद में अंचल निरीक्षक के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि हल्का कर्मचारी के प्रतिवेदन के अनुसार पर दाखिल खारिज की स्वीकृति दी जाती है।

विषयगत वाद में अंचल अधिकारी, रामगढ़ के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि भूमि आदिवासी खाते की है, सरकार के आदेशानुसार आदिवासी खाते की भूमि का बिना परमिशन दाखिल खारिज नहीं किया जा सकता। अतः दाखिल खारिज अस्वीकृत किया जाता है।

उक्त के आलोक में भूमि सुधार उपसमाहर्ता, रामगढ़ द्वारा अपने आदेश फलक में अंकित किया गया है कि अपीलार्थी के द्वारा दाखिल खारिज अभिकथन एवं अंचल अधिकारी, रामगढ़ के द्वारा नामांतरण वाद संख्या-200 R27/2017-18 में दिनांक-31.07.2017 को पारित आदेश के अवलोकन से प्रतीत होता है कि मौजा-लोधमा, थाना सं०-117 के खाता संख्या-67 प्लॉट संख्या-350 आदिवासी खाते की भूमि है। अतः अंचल अधिकारी, रामगढ़ के द्वारा पारित आदेश से असहमत होने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होती है।

सरकारी अधिवक्ता ने अपने बहस के दौरान कहा कि प्रश्नगत भूमि आदिवासी खाते की भूमि है। जिसके आलोक में भूमि सुधार उपसमाहर्ता, रामगढ़ द्वारा प्रश्नगत भूमि के दाखिल खारिज अपील आवेदन अस्वीकृत किया गया है, जो विधि-सम्मत प्रतीत होता है।

4

उभयपक्षों के विज्ञा अधिवक्ता एवं सरकारी अधिवक्ता के बहस को सुनने एवं संलग्न कागजातों एवं लिखित अभिकथन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा प्रश्नगत भूमि को आदिवासी खाते से बाहर की भूमि माना गया है दूसरी और अंचल अधिकारी, रामगढ़ द्वारा प्रश्नगत भूमि को आदिवासी खाते की भूमि मानते हुए दाखिल खारिज कार्रवाई अस्वीकृत किया गया है। राजस्व कर्मचारी द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के आलोक में बिना किसी साक्ष्य या अन्य विवरणी के अंचल अधिकारी, रामगढ़ इसे आदिवासी खाते की भूमि कैसे घोषित कर रहे हैं, स्पष्ट नहीं है। उपरोक्त तथ्यों से यह भी प्रतीत होता है कि भूमि सुधार उपसमाहर्ता, रामगढ़ द्वारा पारित आदेश पर समुचित विचार नहीं करते हुए त्रुटिपूर्ण आदेश पारित किया गया है।

वर्णित तथ्यों के विवेचन, निम्न न्यायालय के आदेश, विज्ञा अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत लिखित अभिकथन का अनुशीलन से स्पष्ट होता है कि उपरोक्त वर्णित बिन्दुओं की पुनः जाँच कर निर्णय लिए जाने हेतु आवेदन निम्न न्यायालय को Remand किया जाता है। साथ ही आदेश दिया जाता है कि यदि विषयगत वाद की भूमि मौजा-लोधमा खाता संख्या-67 प्लॉट संख्या 350 रकबा-2.54 ए० भूमि वारतव में आदिवासी खाते की भूमि है तो इसकी जाँचोपरात संबंधित राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के विरुद्ध विधि सम्मत अनुशासनात्मक कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे।

उपरोक्त आदेश के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

संवित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

Chandan
24/01/25
उपायुक्त,
रामगढ़।

Chandan
24/01/25
उपायुक्त,
रामगढ़।